कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सिंक्षेवि ओ.एफ.डी खण्ड–I इगानप, बीकानेर

क्रमांकः– (DIPR की वेब साईट पर Upload करने हेतु)

दिनांकः–

ई–निविदा सूचना सं. 02/2019–20

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्माण विभागों में सक्षम श्रेणी में नियमानुसार (समय–समय पर संशोधित) प्रभावी आदेशों के तहत पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेंन्ट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in व www.cad.raj.gov.in http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रू लाख में)	धरोहर राशि कार्य का नाम		ई–टेन्डिरिंग प्रकिया शुल्क	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2 %	0.5%			
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible] निर्माण कार्य विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेसन के अनुसार (समस्त सामग्री सीमेंट सहित ठेकेदार की होगी)							
1	Construction of New Road in sector No.4 Lunkaransar Mandi	34.84	69680	17420	500	1000	5 MONTHS
2	R&M of Toilet in left wing of CAD Kothi No.8 Bikaner	5.29	10580	2645	500	500	4 MONTHS

1. निविदा प्रपत्रो को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in. से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे वेबसाइट http://www.eproc .rajasthan .gov.in. पर जमा करायें। यह निविदा वेबसाईट http://www.deproline.org तथा विभागीय वेबसाईट http://www.cad.rajasthan.gov.in . http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्रो हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 18.09.2019 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 30.09. 2019 सांय 3.00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in.पर दिनांक 18.09.2019 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 30.09.2019 सांय 3.00 बजे तक जमा/अपलॉड कराये जा सकते है एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in. पर दिनांक 01.10. 2019 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।
   (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रकिया ऑन लाइन होगी।
   (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाऐं नही खोली जा सकती है तो इसके अगले कार्यदिवस शेष निविदाए खोलेने का कार्य जारी रखा जायेंगा।
   (द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 मे दर्शायी गई धरोहर राशि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष मे भुगतान योग्य बैंक चैक/डीडी संलग्न करनी है।
4. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
5. कार्यो से संबधित निविदा प्रपत्र को किसी भी कार्य दिवस मे दिनांक 18.09.2019 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 30.09.2019 सांय 3.00 बजे तक देखा जा सकता है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफट के रूप मे दिनांक 30.09.2019 को सायं 6.00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।

7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त समबन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबधित वृत अथवा खण्ड मे खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेंगा।

8. राज्य सरकार मे किसी भी अभियात्रिकी विभाग मे किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप मे कार्य नही कर सकेगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियो मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नही ली है तो अनुबन्ध रदद् किया जा सकेंगा।

9. निविदादाता इन प्रपत्रो को डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफट के रूप मे इस कार्यालय मे निर्धारित तिथि तक जमा करवाना आवश्यक है।

10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

11. आर.पी.डब्लयू ए–100 की समस्त शर्ते मान्य होगी।

12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज समान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन मे वर्णित है को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण प्रत्र देना होगा।

13. कार्य पूर्ण करने की अवधि मे मानसून अवधि सम्मलित है।

14. कार्य का दोश निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिट पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि के तिथि के 6 मास पश्चात तक जो भी पश्चातवर्ती हो तक रहेगा।

15. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संषोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेंगी।

16. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ–1 एफ.डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार रू. 500/–, 1000/– रूपये की राशि अतिरिक्त प्रकिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफट के रूप मे देय होंगी। यह डिमाण्ड ड्राफट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. के पक्ष मे जयपुर मे भुगतान योग्य होना चाहिए।

17. ई–टेण्डिरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश

(अ) इन निविदाओ में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रो को इन्टरनेट साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in.से डाउनलोड कर सकते है।

(ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादातो को इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajasthan. gov.in. पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा मे भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टीफिकेट इनफोरमेषन टैकनोलोजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलैक्टोनिक निविदा मे साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदाताओ के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

(स) निविदादाताओ का निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे उपरोक्त वैबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म मे स्वीकार नही होगा।

(द) ऑनलाइन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।

(य) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रो से सम्बधित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ संलग्न कर दी गई है।

(र) कोई भी टैण्डर इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने मे किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नही होगा।

(ल) टेण्डर के प्रपत्रो मे आवश्यक सभी सूचियों को सपुर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

18. संविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्ते विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिको का उक्त अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाए उपलब्ध करवाई जावेंगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिषत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।
19. विभाग में उपलब्ध आरसीसी लीड एवं पैनल का उपयोग किया जाना है। विभाग से एनओसी प्राप्त कर ही भुगतान किया जाना है।
20. निर्माण कार्यो में मसाला मिलाने के लिए मिक्सर का प्रयोग करना होगा।
21. शर्तयुक्त निविदा मान्य नही होगी।

— Sd —
(बजरंग लाल सिंगारिया)
अधिशाषी अभियन्ता
सिंक्षेवि ओ.एफ.डी. खण्ड–I
इंगानप, बीकानेर

क्रमांकः– 1924-43
दिनांकः– 13-9-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित हैः–

1 श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, सिं.क्षे.वि. इं.गा.न.प., बीकानेर।
2 श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सिं.क्षे.वि. वृत,
3 श्रीमान् नोडल ऑफिसर (वेबसाईट) एवं अधि. अभि. व तकनिकी सहायक आयुक्त सिंक्षेवि, बीकानेर को मय सीडी विभागीय वेबसाईट पर अपलॉड करने हेतु।
4 अधिशाषी अभियन्ता खण्ड– ,सिं.क्षे.वि.
5 सहायक अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. उपखण्ड 20/21/22 सिं.क्षे.वि. पदमपुर/ ओएफडी उपखण्ड–I बीकानेर
6 कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन, सा. नि. विभाग, कैम्पस, बीकानेर।
7 वरिष्ठ प्रारूपकार/खण्डीय लेखाकार/कैशियर, खण्डीय कार्यालय।
8 नोटिस बोर्ड।

(बजरंग लाल सिंगारिया)
अधिशाषी अभियन्ता,
ओएफडी खण्ड प्रथम,
सिंक्षेवि, इंगानप, बीकानेर

F:\DATA\NIT022019-20.docx